

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/ 818

दिनांक:- 03/09/2024

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	10261	नीतू जांगिड, क.ले.	राज्य संफाई कर्मचारी आयोग, कृषि पंत भवन, जयपुर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर जयपुर	स.ले.अ.ग्रेड-II के रिक्त पद का
2	12127	विजेश सुकारिया, स.ले.अ.ग्रेड-II	जिला रसद अधिकारी, खान एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिला दूदू	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जयपुर	मांग के आधार पर
3	11652	जलदीप गुर्जर, स.ले.अ.ग्रेड-II	कोषालय, कोटपूतली-बहरोड	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त कोटपूतली-बहरोड	स.ले.अ.ग्रेड-I के रिक्त पद का
4	10175	टीकाराम मीणा, स.ले.अ.ग्रेड-II	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जयपुर अ	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर ब	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज0अजमेर के आदेश दिनांक 01.09.2024 अनुमोदित
5	11894	प्रवीण मेहता, स.ले.अ. ग्रेड-II	कोषालय सलुम्बर	उपकोष लसाडिया (सलुम्बर)	जिला कलक्टर सलुम्बर के आदेश सं. 492 दिनांक 27.09.2023 अनुमोदित
6	10158	कुलदीप सिंह शेखावत, स.ले.अ. ग्रेड-II	उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर	उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सीकर	जिला कलक्टर, सीकर के आदेश सं. 1266-71 दि. 16.01.2024 अनुमोदित
7	10341	हरीश कुमार वर्मा, स.ले.अ.ग्रेड-II	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रैणी (अलवर)	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, अलवर	श्री लोकेश गुप्ता, स.ले.अ. ग्रेड-II को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/III/ 818

दिनांक:- 03/09/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- संबंधित कोषाधिकारी
- निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
- अति.निदेशक (कार्मिक-I)
- उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री/श्रीमती/सुश्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड I/II/कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के क्रम में तुरंत कार्यग्रहण कर इस विभाग को अविलंब अवगत करावे।
- रक्षित/निजी पत्रावली।



(कमलप्रीत कौर)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)